# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 56/2009

निर्णय दिनांक :– 8-11-2019

श्रीमती सुगनाकंवर धर्मपत्नी स्व. प्रभुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थीनी

बनाम

1. हनुमानसिंह
2. प्रतापसिंह
3. रिछपालसिंह
4. शायरसिंह
5. फुलसिंह

पुत्रगण श्री कुशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ जिला चूरू

6. नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री देवेन्द्र कुमार चोटिया अभिभाषक प्रार्थीनी
2. श्री दिवानसिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 7.10.2009 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षैप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की ओरसे दावा चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती बाबत प्रस्तुत किया जा चुका है। ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ की रोही में प्रार्थीनी एवं गौण प्रतिवादी मातुसिंह की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत गत ख.नं. 557/241 तादादी 14 बीघा 08 विश्वा हाल ख.नं. 665/557 तादादी 12 बीघा व ख.नं. 666/557 तादादी 2 बीघा 8 विश्वा कुल तादादी 14 बीघा 8 विश्वा रोही ग्राम सिकराली में स्थित है। वादगत भूमि में प्रार्थीनी एवं गौण प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थीनी का वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 का इस भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और वे प्रार्थीनी को अकेली औरत देखकर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ (जिला चूरू) राज०

8.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 5.10.2009 को प्रतिवादीगण प्रार्थीनी की सींव पर आये और जोर जोर से गाली गलोज करते हुए धमकियां देने लगा कि जबरन कब्जा करेगें व निर्माण करेगें। प्रार्थीनी दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने की अधिकारीनी है कि वे प्रार्थीनी व गौण प्रतिवादी की वादगत संयुक्त खातेदारी भूमि में जबरन प्रवेश नही करें और ना ही उसमें किसी प्रकार निर्माण व स्वरूप में परिवर्तन नही करें। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित नही किया गया तो प्रार्थीनी को अपूर्त्य क्षति होगी । अप्रार्थीगण ना तो खातेदार है और ना ही उनका इससे कोई सम्बन्ध है। जिसे उनका कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। अतः दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे।

3. अप्रार्थीगण की ओर से कई अवसर दिये जाने के बाद भी जबाब प्रस्तुत नही किया गया, इसलिए जबाबदेही बन्द की गई।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ की रोही में प्रार्थीनी एवं गौण प्रतिवादी मातुसिंह की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत गत ख.नं. 557/241 तादादी 14 बीघा 08 विश्वा हाल ख.नं. 665/557 तादादी 12 बीघा व ख.नं. 666/557 तादादी 2 बीघा 8 विश्वा कुल तादादी 14 बीघा 8 विश्वा रोही ग्राम सिकराली में स्थित है। प्रार्थीनी का वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया तथा ना ही बहस के दौरान वकील प्रार्थीनी की बहस का कोई जबाब दिया गया। प्रार्थीनी वादगत भूमि की रेकार्डेड खातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करते है, या कोई निर्माण करते है, तो अपूर्त्य क्षति भी प्रार्थीनी को होगी। इस प्रकार अपूर्त्य क्षति का सिद्वान्त एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि खेत गत ख.नं. 557/241 तादादी 14 बीघा 08 विश्वा हाल ख.नं. 665/557 तादादी 12 बीघा व ख.नं. 666/557 तादादी 2 बीघा 8 विश्वा कुल तादादी 14 बीघा 8 विश्वा रोही ग्राम सिकराली तहसील रतनगढ में प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी नही करें तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें।

आदेश आज दिनांक 8.11.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.30 15:58:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: